न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री संदीप कुमार (आर.ए.एस.)

मैन्यूअल प्रकरण संख्या	156/2022
G.C.M.S.प्रकरण संख्या	2022/156
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	28.04.2022
निर्णय दिनांक	26.07.2022

उनवान

1	शान्तिदेवी पत्नि लाडूराम भील नि.भीलों की झौंपड़िया तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थिया

बनाम

1	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

– अप्रार्थी /अप्रार्थीगण

उपस्थित वकील प्रार्थिया	श्री विजयकुमार टेलर
उपस्थित वकील अप्रार्थी / अप्रार्थीगण	पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

(1) प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय में प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया कि प्रार्थिया की रेकार्डेड एंव कब्जे काश्त भूमि में आने-जाने बाबत् रास्ता रेकार्ड में दर्ज कराने की कृपा करावें। प्रार्थिया की कृषि भूमि का विवरण निम्नानुसार है –

नाम ग्राम	जमाबन्दी संवत	खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा
आसीन्द	2076 -2079	1551	7567/834	0.65

(2) प्रार्थिया अपनी उक्त आराजियात में आने-जाने हेतु अप्रार्थी / अप्रार्थीगणों की निम्न भूमि में से रास्ता चाहते है –

नाम ग्राम	आ.नं.	रकबा	स्वामित्व	भौगोलिक स्थिति
आसीन्द	833	0.5579	चरागाह भूमि (तरमीम से नये आ.नं.7708/833)	बिलानाम आम रास्ता आ.नं.1160 से होते हुये चरागाह आ.नं.7708/833 की उत्तरी मेड़ के सहारे -सहारे रास्ता चाहा गया है।

(3) प्रार्थिया की आराजियात में आने-जाने का उक्त एक मात्र लघुत्तम व निकटतम रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आवेदित रास्ता मात्र सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं है। आवेदक को खेतों में आवागमन हेतु रास्ते की परम आवश्यकता है।

(4) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी / अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। सम्मन बाद तामील प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। भू.अभि.नि. आसीन्द की मौका रिपोर्ट दिनांक 10.06.2022 प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है।

(5) वकील प्रार्थी /प्रार्थीगण/प्रार्थिया द्वारा प्रकरण में बहस सुने जाने की इस्तदुआ करने पर वकील प्रार्थिया / पैरोकार सरकार बहस सुनी गयी। वक्त बहस वकील प्रार्थी/प्रार्थीगण /प्रार्थिया का कथन था कि प्रार्थी/प्रार्थीगण /प्रार्थिया की कृषि भूमि में आने- जाने हेतु रास्ता नियमानुसार चरागाह भूमि के बदले प्रार्थिया की खातेदारी भूमि को चरागाह दर्ज की जाकर बदले मे रास्ता दर्ज रेकार्ड करने का आदेश प्रदान किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थी/प्रार्थीगण /प्रार्थिया के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है यही निकटतम रास्ता है। भू.अभिलेख

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.10.07 14:25:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

निरीक्षक आसीन्द द्वारा प्रस्तावित रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें। वकील अप्रार्थीगण /पैरोकार सरकार ने वक्त बहस कथन किया कि आवेदित भूमि में आने-जाने बाबत् रास्ता हेतु भू.अ.निरीक्षक आसीन्द द्वारा प्रस्तुत की गयी मौका रिपोर्ट सत्य होकर उन्ही के अनुरूप आदेश पारित करने में राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है ।

(6) भू.अ.निरीक्षक आसीन्द ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है कि आवेदक को खेतों में आवागमन हेतु रास्ते की परम आवश्यकता है। आवेदित रास्ता मात्र सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता या उपाय उपलब्ध नहीं है। आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता दिया जाना उचित है तथा आवेदक द्वारा रास्ते बाबत् चाही गयी भूमि की किस्म चरागाह होने से क्षतिपूर्ति हेतु आवेदक की रास्ते के बराबर खातेदारी भूमि को चरागाह भूमि दर्ज रेकार्ड किया जाना उचित है।

(7) बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक आसीन्द / पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी /प्रार्थीगण /प्रार्थिया द्वारा चाहा गया रास्ता भू.अ.निरीक्षक आसीन्द की रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक आवश्यक प्रतीत होने तथा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से एंव प्रार्थी /प्रार्थीगण /प्रार्थिया द्वारा कृषि भूमि के लिये की गयी रास्ते की मांग इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से न्यायालय यह उचित समझता है कि प्रार्थी /प्रार्थीगण /प्रार्थिया को अपनी खातेदारी भूमि पर आने-जाने के लिये भू.अ.निरीक्षक आसीन्द द्वारा प्रस्तावित रास्ता दिया जावे ताकि प्रार्थी /प्रार्थीगण /प्रार्थिया अपने खेतों पर आ-जा सके तथा कृषि कार्य कर सके। तदनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से यह आदेश सुनाया जाता है कि –

क्रियात्मक – आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रार्थीगण /प्रार्थिया स्वीकार किया जाकर प्रार्थी / प्रार्थीगण /प्रार्थिया द्वारा रास्ते की भूमि के बराबर प्रार्थिया की खातेदारी भूमि में से राजस्थान सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप-9) विभाग क्रमांक प.2(63) राज-9 /2014 दिनांक 29.09.2014 के अनुरूप क्षतिपूर्ति हेतु चरागाह दर्ज करने में सहमत होने से भू.अ.निरीक्षक आसीन्द द्वारा प्रस्तुत संलग्न तरमीम नक्शा अनुसार प्रार्थिया की आराजियात पर आवागमन हेतु रास्ता तथा प्रार्थिया की खातेदारी भूमि को चरागाह दर्ज करने हेतु निम्नानुसार आदेश दिये जाते है -

क्र.सं.	नाम ग्राम	आराजी नम्बर	कुल रकबा	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा	प्रस्तावित रास्ते की भौगोलिक स्थिति	प्रार्थिया की खातेदारी भूमि जो चरागाह दर्ज की जानी है	प्रस्तावित चरागाह भूमि हेतु भौगोलिक स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आसीन्द	7708/833	0.5371	0.0380	बिलानाम आम रास्ता आ.नं.1160 से होते हुये चरागाह आ.नं.7708/833 की उत्तरी मेड़ के सहारे सहारे - रास्ता चाहा गया है।	प्रार्थिया की खातेदारी आ.नं.7567/834 में से रकबा 0.0380 चरागाह मे दर्ज की जानी है।	आ.नं 7567/834 की पश्चिमी मेड़ के सहारे-सहारे

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर करें। आदेश आज दिनांक 26.07.2022 को खुली अदालत में सुनाया गया।

(संदीप कुमार)
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.10.07 14:25:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द जिला भीलवाड़ा

क्रमांक / रीडर / 2022/149 दिनांक 28.2022

प्रतिलिपी:- तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि निर्णयानुसार पालना करा पालना रिपोर्ट मय राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियों के प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा